[2008] 17 एससीआर 420

रविश्वर मांझी एवं अन्य.

बनाम .

झारखंड राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 2020/2008)

12 दिसंबर, 2008

[एस.बी. सिन्हा और सिरियाक जोसेफ, जे.जे.]

दंड संहिता, 1860-धारा 302, 148 और 326 - एक व्यक्ति की मौत और अन्य को चोट पहुंचाने के लिए अभियोजन पक्ष - शिकायतकर्ता और आरोपी पक्षों द्वारा क्रॉस-एफआईआर - आरोपी ने आत्मरक्षा का प्रयास किया - जांच अधिकारी की जांच न करना - घटना के संबंध में सनहा पेश न करना - आरोपी व्यक्तियों के कहने पर मामला अभी भी ट्रायल कोर्ट में लंबित है - निचली अदालतों द्वारा आरोपियों को दोषी ठहराया जाना - अपील पर, यह माना गया: इस तथ्य के मद्देनजर कि अभियोजन पक्ष घटना की उत्पत्ति के बारे में सामने नहीं आया है और जांच लापरवाही से की गई थी, और शिकायतकर्ता पक्ष के आचरण को देखते हुए, दोषसिद्धि उचित नहीं है - मामले पर बचाव पक्ष के मामले के आलोक में विचार करने की आवश्यकता थी - आरोपी निजी बचाव के अधिकार के हकदार थे - इसलिए, बरी किया गया।

दो क्रॉस-एफआईआर दर्ज की गई, एक शिकायतकर्ता द्वारा अपीलकर्ता-आरोपी के खिलाफ और दूसरी अपीलकर्ता-आरोपी द्वारा शिकायतकर्ता पक्ष के खिलाफ। शिकायतकर्ता पक्ष का आरोप था कि आरोपियों ने शिकायतकर्ता के पिता (मृतक) और उसके चाचा (पीडब्लू-1) पर उस समय हमला किया, जब वे अपने घर के सामने बैठे थे। अपराध करने का मकसद मृतक द्वारा आरोपियों द्वारा उनके घर के सामने उपद्रव मचाने पर आपत्ति जताना बताया गया था। आरोपियों ने अपनी एफआईआर में आरोप लगाया कि मृतक ने उनके घर में जबरन घुसकर घर की एक महिला का अपमान करने की कोशिश की। जब उसने शोर मचाया, तो अपीलकर्ता उसे बचाने आए। उन्होंने आरोप लगाया कि मृतक के पास ' तांगी ' थी, जिससे उसने दो अपीलकर्ताओं पर हमला किया।

मृतक ने अपने सभी परिवार के सदस्यों को बुला लिया और अपीलकर्ताओं पर हमला किया गया।

आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ धारा 302/149, 307/149, 326/147,148 और 324 आईपीसी के तहत अभियोजन शुरू किया गया था। आरोपी व्यक्तियों द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर अभियोजन पक्ष के गवाहों (शिकायतकर्ता पक्ष) के खिलाफ भी धारा 147/149, 323/149 और 342/149 आईपीसी के तहत अभियोजन शुरू किया गया था। शिकायतकर्ता पक्ष के खिलाफ मामला अभी भी ट्रायल कोर्ट में लंबित है।

सुनवाई के दौरान, तत्काल मामले के जांच अधिकारी, जिन्होंने फर्द दर्ज की थी , अपीलकर्ता-आरोपी संख्या 5 के ' बेयान ' को गवाह के रूप में परीक्षित नहीं किया गया। घटना के बारे में सूचित करने वाले टेलीफोन कॉल के आधार पर पीडब्लू 17 द्वारा दर्ज ' सन्हा ' भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी 'आर' को धारा 302,148, आईपीसी के तहत; आरोपी 'जे' को धारा 302,148 और 326, आईपीसी के तहत; आरोपी 'के' और ' आरएम ' को धारा 326 और 148, आईपीसी के तहत; आरोपी 'एस' और 'आईटी' को धारा 148, आईपीसी के तहत दोषी ठहराया। अपीलकर्ताओं द्वारा दायर अपील को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। इसलिए वर्तमान अपील।

अपील स्वीकार करते हुए न्यायालय ने

निर्णय: 1. निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने ऐसा कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया कि सभी अभियुक्तों का उद्देश्य एक ही था। अभियुक्तों की ओर से कोई पूर्व-योजना नहीं थी। दो अभियुक्तों को धारा 302 और 148 आईपीसी के तहत दोषी पाया गया है और अन्य अभियुक्तों को धारा 326 और 148 के तहत दोषी पाया गया है। [पैरा 16] [435-डीई]

2. अभियोजन पक्ष ने घटना की उत्पत्ति के बारे में कुछ नहीं बताया है। यह स्पष्ट नहीं है कि शिकायतकर्ता पक्ष और आरोपी व्यक्तियों द्वारा दायर दोनों मामलों को एक के बाद एक एक ही अदालत में क्यों नहीं लिया गया और वर्ष 1999 का एक आपराधिक मामला अभी भी ट्रायल कोर्ट में लंबित कैसे है। [पैरा 16] [435-एफ]

3. ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने इस आधार पर आगे बढ़ना उचित समझा कि चूंकि अपीलकर्ता अपना बचाव साबित नहीं कर पाए, इसलिए अभियोजन पक्ष के बयान को स्वीकार किया जाना चाहिए।

इस प्रकार, निचली अदालतों का निर्णय सही नहीं था। [पैरा 17] [435 4.

4. जांच में लापरवाही बरती गई। एफआईआर से साफ पता चलता है कि एफआईआर दर्ज होने से पहले ही जांच शुरू हो गई थी। जांच की गई, खून से सनी घास और मिट्टी जब्त की गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। [पैरा 17] [435-एच; 436-ए]

5. घायल व्यक्तियों को गंभीर चोटें आईं। उम्मीद थी कि उन्हें जल्द से जल्द कुछ चिकित्सा सहायता प्रदान की जाएगी। वे बेहोश थे और इसलिए उन्हें इलाज के लिए पास के अस्पताल में भेजा जाना चाहिए था। हालांकि, घायलों को पीडब्लू 11 के निजी क्लिनिक में भेजा गया। बेशक, एक सरकारी अस्पताल है, और एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का अस्पताल है जिसमें घायल गवाहों में से एक कर्मचारी था। □ हालांकि, उन्होंने घटनास्थल से 22 किलोमीटर की दूरी पर जाना चुना और पीडब्लू 11 के क्लिनिक में भर्ती हुए। यदि अभियोजन पक्ष का मामला सही है कि शव और घायल व्यक्तियों को भी पीडब्लू 11 के क्लिनिक में लाया गया था। रेफरल अस्पताल बंद पाया गया, घायलों को निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया , कोई कारण नहीं था कि पुलिस कर्मी उनके साथ क्यों नहीं गया। [पैरा 18, 8 और 19] [428-एसी; 436-बीसी; 437-एबी]

6. यह भी अजीब है कि न तो चश्मदीद गवाह (पीडब्लू 1) के सिर पर चोट का सटीक स्थान बताया गया और न ही डॉक्टर ने उक्त चोट का विवरण दिया। वह यह भी बताने की स्थिति में नहीं था कि - चोट नंबर 3 सामने से लगी थी या पीछे से। उसके अनुसार सभी चोटें एक जैसे हथियारों से लग सकती हैं। उसने अपनी चोट रिपोर्ट में चोट के रंग का भी उल्लेख नहीं किया । [पैरा 19] [437-बीसी]

7. जबकि अभियोजन पक्ष के सभी अन्य गवाह उसी दिन अस्पताल में भर्ती थे, पीडब्लू 7 को अगले दिन भर्ती कराया गया था, हालांकि उसे गंभीर चोट लगी थी। यह ज्ञात नहीं है कि उसे कोई चिकित्सा सहायता दी गई थी या नहीं। दोनों गवाहों में से किसी का भी बयान उस दिन दर्ज नहीं किया गया जिस दिन यह घटना हुई थी।

घटना घटित हुई थी या उसके एक दिन बाद। [पैरा 20] [437-सीडी]

8. पीडब्लू 1 की जांच मौत के करीब बारह दिन बाद की गई। पीडब्लू 3 ने बताया कि उसकी जांच एक महीने बाद की गई। पीडब्लू 7 का बयान भी एक हफ्ते बाद लिया गया। [पैरा 21] [437-ई]

9. इस तरह के मामले में जांच अधिकारी से पूछताछ की जानी चाहिए थी। अभियोजन पक्ष द्वारा उसकी जांच यह दिखाने के लिए आवश्यक थी कि निष्पक्ष जांच हुई है। कोई साइट प्लान तैयार नहीं किया गया था। रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे पता चले कि घटना किस जगह पर हुई थी। यह कहा गया है कि पक्षों के घर को एक सड़क से विभाजित किया गया है। यदि ऐसा है, तो यह पता लगाने के लिए कि हमलावर कौन था , घटना के सटीक स्थान को इंगित करना और भी अधिक आवश्यक था । [पैरा 21] [437-ईजी]

10. अपीलकर्ताओं में से दो को लगी चोटों पर ध्यान देने की आवश्यकता थी। अपीलकर्ताओं को लगी चोटें गंभीर प्रकृति की थीं, इसलिए अभियोजन पक्ष को उन्हें स्पष्ट करने का कर्तव्य था। उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को लगी चोटों की प्रकृति पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया। [पैरा 22 और 23] [437-एच; 438-जीएच]

अयोध्या राम उर्फ अयोध्या प्रसाद सिंह एवं अन्य । बनाम बिहार राज्य (1999) 9 एससीसी 139, प्रतिष्ठित

11। सात प्रत्यक्षदर्शियों में से, पी.डब्लू. 7 पर निचली अदालतों ने विश्वास नहीं किया। पी.डब्लू. 4 और 5 घटना स्थल पर बिल्कुल मौजूद नहीं थे। कहा जाता है कि उन्होंने घटना का केवल एक हिस्सा देखा था। अन्य सभी प्रत्यक्षदर्शी मृतक के रिश्तेदार थे। इसके अलावा, पक्षों के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी। उनके खिलाफ केवल धारा 107 सीआरपीसी के तहत मामला लंबित था। यहां तक कि इस संबंध में भी, यह दिखाने के लिए कोई दस्तावेजी सबूत रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया कि उक्त कार्यवाही कब और किसके कहने पर शुरू की गई थी। अभियोजन पक्ष के गवाहों ने केवल अभियोजन पक्ष के
मामले का समर्थन किया कि एक मौत हुई थी और दो गवाहों को गंभीर चोटें आईं, लेकिन यह बिल्कुल जरूरी था।

में यह दर्शाया गया है कि आरोपी हमलावर थे। इसी कारण से अभियोजन पक्ष के मामले की उत्पत्ति को गंभीर महत्व दिया जाना चाहिए। [पैरा 24] [439-एडी]

12. यह तथ्य कि अपीलकर्ता अपने घर वापस हथियार लेकर गए थे और मृतक तथा घायल व्यक्तियों को चोटें पहुंचाईं, सही हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन अभियोजन पक्ष के मामले को सही मानते हुए भी, स्पष्ट रूप से अभियोजन पक्ष उनके घर भी गया और उनके घर से हथियार भी लाया। यदि यह स्वीकार किया जाता है कि अपीलकर्ता ऐसे घातक हथियारों से लैस थे, तो यह भी स्वीकार किया जाना चाहिए कि अभियोजन पक्ष के गवाह भी ऐसे हथियारों से लैस होंगे। इसी कारण से ' सन्हा ' प्रविष्टि प्रस्तुत करना आवश्यक था। अभियुक्त की पहचान या पीड़ितों द्वारा पहुंचाई गई चोटों की प्रकृति के साथ-साथ दोषियों के नाम के बारे में किसी भी विवरण के बिना पुलिस अधिकारी द्वारा फोन पर प्राप्त की गई सूचना को एफआईआर नहीं माना जा सकता है, लेकिन यदि उसे प्रस्तुत किया जाता, तो पुलिस अधिकारी द्वारा प्राप्त सूचना की प्रकृति स्पष्ट हो जाती। [पैरा 25] [439-डीजी]

13. यदि उच्च न्यायालय द्वारा देखी गई स्थिति के अनुसार स्वतंत्र लड़ाई हुई थी, जो हो सकती थी और जहां दोनों पक्ष घातक हथियारों से लैस थे और उन्हें चोटें आई थीं, तो सभी अपीलकर्ताओं को धारा 302 आईपीसी के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। पूरे मामले को निचली अदालतों द्वारा उस दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए था। मामले पर बचाव पक्ष के मामले के आलोक में विचार किया जाना आवश्यक था। [पैरा 26] [440-EF]

14.1. निजी बचाव के अधिकार के प्रयोग के संबंध में अपीलकर्ताओं की दलील को उच्च न्यायालय ने केवल इस आधार पर नकार दिया है कि मृतक के घर से चले जाने के तुरंत बाद निजी बचाव का अधिकार समाप्त हो गया था। लेकिन जिस बात पर विचार नहीं किया गया है वह है घटना का कारण । क्या परिवार की किसी महिला सदस्य की शील भंग की गई थी?

की ओर से घटना को जन्म देने का कारण क्या था, यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर विचार किया जाना चाहिए था। यदि ऐसा है, तो अभियोजन पक्ष को यह साबित करना था कि अपीलकर्ताओं की ओर से चोट पहुँचाने का प्रयास पिछली दुश्मनी के परिणामस्वरूप नहीं बल्कि एक अलग उद्देश्य के लिए किया गया था। [पैरा 27] [440-एच; 441-एबी]

14.2. यदि एफआईआर में लगाए गए आरोप कि अपीलकर्ता नशे में थे, सही थे, तो पीडब्लू 17 और उसके परिणामस्वरूप जांच अधिकारी के लिए उक्त तथ्य को स्थापित करना अनिवार्य था। मेडिकल साक्ष्य ऐसा नहीं दर्शाते हैं। मामले के इस पहलू को आरोपी का इलाज करने वाले डॉक्टर के ध्यान में नहीं लाया गया। इस प्रकार, दो संस्करण थे। दोनों संभावित थे और यदि ऐसा है, तो अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए निजी बचाव के अधिकार के प्रयोग की दलील गंभीरता से विचार करने योग्य थी। [पैरा 27] [441 -सीडी]

14.3. अभिलेखों में कोई ऐसी सामग्री नहीं लाई गई जिससे यह पता चले कि अपीलकर्ता हमलावर थे। यदि सब कुछ कम समय में हुआ था जैसा कि अभियोजन पक्ष द्वारा आरोप लगाया गया है, तो अभियोजन पक्ष के लिए यह साबित करना भी आवश्यक था कि अभियुक्त व्यक्तियों को चोटें कैसे आईं। अब यह कानून का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियुक्त अभियोजन पक्ष द्वारा लाए गए अभिलेखों में मौजूद सामग्रियों से यह दिखा सकते हैं कि वे निजी बचाव के अधिकार का प्रयोग करने के हकदार थे। अपीलकर्ता निजी बचाव के अपने अधिकार का प्रयोग करने के हकदार थे। [पैरा 28 और 33] [441-ईएफ; 445-डीई]

चानन सिंह बनाम पंजाब राज्य [(1979) 4 एससीसी 399; बिश्ना उर्फ भिस्वदेब महतो एवं अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2005)12 एससीसी 657 और सुरेन्द्र एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य (2006) 11 एससीसी 434 पर भरोसा किया गया।

केस लॉ संदर्भ:

(1999) 9 एससीसी 139	विशिष्ट	पैरा 23
(2005)12 एससीसी 657	पर भरोसा।	पैरा 29
(1979)4 एससीसी 399	पर भरोसा।	पैरा 29
(2006)11 एससीसी 434	पर भरोसा।	पैरा 30

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 2020/2008।

आपराधिक अपील संख्या 401,249, 199 और 177/2000 में झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के दिनांक 15.9.2006 के निर्णय और आदेश से।

आनंद , डी. भरत कुमार, अजीम एच. लस्कर , अभिजीत सेनगुप्ता और एम. इंद्राणी अपीलकर्ता।

प्रतिवादी की ओर से रतन कुमार चौधरी।

न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित द्वारा सुनाया गया:

एस.बी. सिन्हा, जे.

1. छुट्टी मंजूर की गई।

2. अपीलकर्ताओं और मृतक रघु मांझी के साथ चार अन्य लोगों पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302/149, 307/149, 326/147/148/324 और 326 के तहत अपराध करने का मुकदमा चलाया गया।

3. चांदन थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिमुलतांड गांव में घटित हुई थी। बोकारो जिले के कियारी (बंगरिया सहायक थाना) पुलिस स्टेशन में हुई घटना के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) शिकायतकर्ता (सुरेश कुमार दास, पीडब्लू 10) के घर पर दोपहर 3.45 बजे दर्ज की गई। एफआईआर में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि जब उसके पिता नागेंद्र नाथ दास (मृतक) और चाचा मनपूरन दास भोजन करने के बाद अपने घर के सामने बैठे थे, उन्होंने शोर (हल्ला) सुना, जिसके बाद वे बाहर आए और देखा कि रविश्वर मांझी , बेरदा का बेटा 'लोहे के टेंटा ' से लैस मांझी , जलेश्वर ' तांगी ' से लैस वेद मांझी के पुत्र मांझी , बेरदा के पुत्र काला चंद मांझी मांझी , संतु बलेसर के मांझी पुत्र ' भाला ' से सुसज्जित मांझी , स्वर्गीय नकुल के पुत्र रघु मांझी ' भाला ' और उमाकांत से लैस मांझी रजक ने ' भाला ' से लैस होकर उसके पिता और चाचा पर हमला कर दिया। उसने शोर मचाया, जिसके बाद उसके दूसरे चाचा गौर दास उन्हें बचाने आए । मांझी ने उन पर भी टांगी से हमला किया, जिससे उनके दाहिने हाथ की हथेली पर चोट आई है। उनके चाचा मनपूरन दास के बाएं बगल, बाएं घुटने के जोड़ और सिर के बाएं हिस्से पर चोटें आई हैं। जलेश्वर मांझी ने अपने पिता को तंगी से मारा ।

जब वह अपने पिता को अपने साथ ले जाना चाहता था तब रविश्वर मांझी ने अपने पिता की पीठ के दाहिने हिस्से पर लोहे का टेंट (बलियम) घोंप दिया और भाग गया। अपराध करने का मकसद उसके पिता द्वारा आरोपियों द्वारा उनके घर के सामने उपद्रव मचाने पर आपत्ति जताना बताया गया। एफआईआर में कहा गया है कि नागेंद्र की लाश मिली है। नाथ दास सड़क पर पड़े थे और गौर दास घायल अवस्था में तथा पूरन दास बेहोशी की हालत में पड़े थे।

4. पीडब्लू 17- शंकर राम एएसआई ने बताया कि उक्त तिथि को उन्हें फोन पर सूचना मिली थी कि सिमुलतांड गांव में झगड़ा हो रहा है । उक्त सूचना के आधार पर उन्होंने सनहा दर्ज किया और घटनास्थल की ओर चल पड़े। हालांकि, यह सच है कि उक्त सनहा पेश नहीं किया गया। उन्होंने यह भी नहीं बताया कि उन्हें यह सूचना किससे मिली।

5. निस्संदेह, रविश्वर का एक और फ़र्ज़-बयान मांझी (आरोपी नंबर 5) का बयान वर्तमान मामले के जांच अधिकारी आलोक कुमार ने दर्ज किया था। हालांकि, अभियोजन पक्ष ने उनसे पूछताछ नहीं की थी।

6. दोनों एफआईआर रात करीब 10.15 बजे चंदनकियारी थाने में दर्ज की गईं। जहां एफआईआर संख्या 104 अपीलकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148,149, 323, 324, 326, 307 और 302 के तहत दर्ज की गई, वहीं एफआईआर संख्या 105 शिकायतकर्ता पक्ष के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 323, 324, 342, 448 और 354 के तहत दर्ज की गई।

7. आरोपी नंबर 5 द्वारा दर्ज की गई एफआईआर नंबर 105 में अपीलकर्ताओं का मामला यह है कि मृतक ने उनके घर में जबरन घुसकर उनके छोटे भाई की पत्नी चिंता मुनि माझियन का अपमान करने की कोशिश की और जब उसने शोर मचाया तो अपीलकर्ताओं ने उसे बचाने की कोशिश की। हालांकि, मृतक के पास एक टांगी थी जिससे उसने दोनों अपीलकर्ताओं पर हमला किया। उसने अपने सभी परिवार के सदस्यों को बुलाया जो घातक हथियारों से लैस थे। अपीलकर्ताओं पर हमला किया गया जिससे वे घायल हो गए। अपीलकर्ताओं को लगी चोटें रविश्वर मांझी और जलेश्वर मांझी की जांच की गई।

चंदनकियारी पुलिस स्टेशन के एसएचओ ने अपीलकर्ताओं की चोट रिपोर्ट तैयार की और उन्हें आगे के इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया।

रतन के निजी क्लिनिक में भेज दिया गया केजरीवाल । बेशक, चंदनकियारी में सरकारी अस्पताल है। यह भी विवाद का विषय नहीं है कि अमलाबाद में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) का एक अस्पताल है, जिसमें घायल गवाहों में से एक कर्मचारी था।

हालांकि, उन्होंने चास गांव जाने का फैसला किया जो घटनास्थल से 22 किलोमीटर की दूरी पर है और उन्हें पी.डब्लू. 11 के क्लिनिक में भर्ती कराया गया।

सदर अस्पताल, बोकारो में डॉ. अविनाश कुमार चौधरी (पीडब्लू 12) द्वारा मृतक का पोस्टमार्टम किया गया। मृतक पर उनके द्वारा पोस्ट-मॉर्टम रिपोर्ट में निम्नलिखित चोटें पाई गईं:

> "(i) माथे के बाईं ओर 5" x 1 1/2" x कपाल गुहा में गहरा चीरा हुआ घाव, जो तिरछा होकर खोपड़ी के दाहिने पार्श्व क्षेत्र तक फैला हुआ है, जिसमें E पर ललाट की हड्डी का स्पष्ट रूप से परिवर्तित फ्रैक्चर है। बायाँ पक्ष;
>
> (ii) बाएं कंधे की कलाई के सामने 2 1/2" x 1 1/2" का घर्षण;
>
> (iii) बाएं कंधे पर 1 1/2" x 1/2" का घर्षण;
>
> (चतुर्थ) दाएं गुर्दे के क्षेत्र पर 1 1/2" x 1/4" x 5" गहरा, L2 रीढ़ से 1" दूर, तीखे किनारों वाला छेदक घाव
>
> (वी) विच्छेदन के दौरान, डॉक्टर ने पाया कि कपाल तिजोरी टूटी हुई थी और मस्तिष्क के किनारे और पदार्थ फटे हुए थे, कटे हुए थे और बाएं पिछले आधे हिस्से से दाएं गोलार्ध तक फैले हुए थे; छेद 5 इंच गहरा था और अपने क्षेत्र में दाएं गुर्दे को पूरी चौड़ाई में चीर दिया था । इसने पेरिटोनियम और बड़ी आंत के आरोही स्तंभ और छोटी आंत के हिस्से को भी छेद दिया था। नरम ऊतक और छिद्र

पूर्वोक्त घाव क्षतिग्रस्त हो गया था। उदर गुहा रक्त के थक्कों, मल पदार्थ और अन्य आंतों के पदार्थों से भर गया था।

डॉक्टर ने आगे पाया कि शरीर में भाले के आकार का एक लोहे का रॉड और दो कीलें (टेंटा) फंसी हुई थी जिसे उन्होंने निकालकर कांस्टेबल को सौंप दिया था। डॉक्टर की राय में, मौत चोट संख्या (iv) के कारण हुई, जो एक धारदार हथियार से लगी थी और आंतरिक और बाहरी रक्तस्राव और मस्तिष्क, गुर्दे और आंत जैसे महत्वपूर्ण अंगों में चोट के कारण हृदय श्वसन विफलता के कारण हुई थी।

9. दोनों मामलों में 31.12.1997 को आरोप पत्र दाखिल किये गये।

द्वितीय द्वारा दिनांक 23.4.1994 को धारा 302/149, 307/149, 326/147, 148, 324 आईपीसी के तहत आरोपियों के खिलाफ निम्नलिखित आरोप तय किए गए थे बोकारो डी. चास, जो इस प्रकार है:

"पहला - यह कि आप 31 अक्टूबर 97 को दोपहर 2 बजे के आसपास ग्राम सिमुलटांड़ पीएस चंदनकियारी जिला में उपस्थित हों । बोकारो आप सभी ने एक ही उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए जानबूझ कर या जानबूझकर नागेन्द्र की हत्या की है। नाथ दास ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया है, तथा यह मेरे संज्ञान में है।

दूसरा- कि आप सभी ने एक ही तारीख या एक ही समय पर एक ही स्थान पर एक ही उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए ऐसी मंशा या ज्ञान के साथ ऐसी परिस्थितियों में घातक हथियारों से हमला किया कि यदि आपके उस कार्य से मनपूरन दास उर्फ पूरन चंद्र दास और (2) गौर दास की मृत्यु हो जाती तो आप हत्या के दोषी होते और इस प्रकार आपने भारतीय दंड संहिता की धारा 307/149 के तहत दंडनीय अपराध किया होता और यह मेरे संज्ञान में है।

तीसरा- यह कि आपने एक ही तारीख को या लगभग एक ही समय एक ही स्थान पर स्वेच्छा से (1) मनपूरन दास उर्फ पूरन चंद्र दास और (2) गौर दास को गंभीर चोट पहुंचाई।

टांगी के माध्यम से , जो काटने का एक उपकरण है, मैंने भारतीय दंड संहिता की धारा 326 के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया है, तथा यह मेरे संज्ञान में है।

चौथा- कि आप 31 अक्टूबर 1997 को अपराह्न 2 बजे के आसपास ग्राम सिमुलटांड़ थाना चंदनकियारी जिला में उपस्थित हों। बोकारो , आप सभी लोग गैरकानूनी सभा के सदस्य थे और उक्त सभा के सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में दंगा करने का अपराध किया और इस प्रकार भारतीय दंड संहिता की धारा 147 के तहत दंडनीय अपराध किया, और मेरे संज्ञान में है।

पांचवां - कि आप उसी तारीख को या लगभग उसी समय उसी स्थान पर विधिविरुद्ध जनसमूह के सदस्य थे और उस जनसमूह के सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपने दंगा करने का अपराध किया और उस समय आप घातक हथियारों जैसे तांता, टेंटा (बल्लम), भाला आदि से लैस थे और इस प्रकार आपने भारतीय दंड संहिता की धारा 148 के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया है और यह मेरे संज्ञान में है।

छठा- कि आपने, एक ही तारीख को या लगभग एक ही समय एक ही स्थान पर, (1) मनपूरन दास उर्फ पूरन चंद्र दास और (2) गौर दास को टांगी के माध्यम से , जो काटने का एक उपकरण है, स्वेच्छा से चोट पहुंचाई और इस प्रकार भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के तहत दंडनीय अपराध किया, और मेरे संज्ञान में है।"

निर्विवाद रूप से, अभियोजन पक्ष के गवाहों के विरुद्ध भी दिनांक 12.7.1999 को उप-विभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, चास, बोकारो द्वारा धारा 147/149, 323/149, और 342/149 के अंतर्गत आरोप तय किए गए, जो इस प्रकार हैं:

"पहला- यह कि आप 31 अक्टूबर 1997 को या उसके आसपास ग्राम सिमुलटांड थाना चंदनकियारी जिला में। बोकारो में एक गैरकानूनी सभा का सदस्य होने के नाते, एक गैरकानूनी सभा के सामान्य उद्देश्य के लिए दंगा किया और इस प्रकार भारतीय दंड संहिता की धारा 147/149 के तहत दंडनीय अपराध किया, और यह मेरे संज्ञान में है।

दूसरा- कि आप, उसी दिन या लगभग उसी दिन

साथ ही मुखबिर रविश्वर को भी स्वेच्छा से चोट पहुंचाई मांझी और उनके छोटे भाई जलेश्वर मांझी के विरुद्ध गैरकानूनी ढंग से एकत्रित होने के सामान्य उद्देश्य के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया है और इस प्रकार भारतीय दंड संहिता की धारा 323/149 के तहत दंडनीय अपराध किया गया है, तथा यह मेरे संज्ञान में है।
तीसरा- कि आपने उसी दिन या लगभग उसी समय, एक गैरकानूनी जमावड़े के सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में सूचनाकर्ता और उसके छोटे भाई को गलत तरीके से पाबंद किया और इस तरह भारतीय दंड संहिता की धारा 342/149 के तहत दंडनीय अपराध किया, और यह मेरे संज्ञान में है।"

10. दोनों मामलों की सुनवाई अलग-अलग अदालतों में हुई। हालांकि, यह कहा गया है कि आरोपियों द्वारा दर्ज मामला अभी भी न्यायिक दंडाधिकारी, बोकारो की अदालत में लंबित है ।

11. विद्वान सत्र न्यायाधीश के समक्ष अभियोजन पक्ष की ओर से सत्रह डी गवाहों की जांच की गई। पीडब्लू 1-मनपूरन दास, पीडब्लू 7- परमेश्वर दास, और पीडब्लू 9-गौर दास घायल गवाह थे। पीडब्लू 2- राजन दास (प्रदीप कुमार दास), पीडब्लू 3-धनेश्वर दास (धोना दास), पीडब्लू 6 खगेंद्र नाथ दास, पीडब्लू 8-नीलम देवी और पीडब्लू 10-सुरेश ई कुमार दास (सूचनाकर्ता) ने घटना को देखा था। पीडब्लू 4 चिंता हरण दास और पीडब्लू 5-मंटू दास ने भी घटना का कुछ हिस्सा देखा था।

पीडब्लू11-डॉ. रतन केजरीवाल , जिनके नर्सिंग होम में घायलों को भर्ती कराया गया था, पी.डब्लू. 9 गौर दास और पूरन चंद दास पी को भर्ती कराया गया था, पी.डब्लू. 12 - डॉ. अवनीश कुमार चौधरी , शव परीक्षण सर्जन, पी.डब्लू. -16 - डॉ. पीएस कश्यप , जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने परमेश्वर दास (पी.डब्लू. 7) की जांच की थी, पी.डब्लू. 17 - शंकर राम, ए.एस.आई. जिन्होंने पी.डब्लू. 10 का फर्द-बयान दर्ज किया था और पूछताछ की थी, से भी पूछताछ की गई।
हालाँकि, जांच अधिकारी से पूछताछ नहीं की गई।

अपीलकर्ताओं ने बचाव पक्ष के दो गवाहों सहदेव से भी पूछताछ की शिकायतकर्ता पक्ष के खिलाफ दर्ज फर्द-बयान , एफआईआर और चार्जशीट को साबित करने के लिए पुलिस कांस्टेबल महतो (डीडब्लू 1) और मामले की जांच करने वाले डॉ. वीरेंद्र कुमार (डीडब्लू 2) को दोषी ठहराया गया है ।

आरोपी रविश्वर मांझी और जलेश्वर मांझी .

12. विद्वान ट्रायल जज ने अ.प. 7 परमेश्वर दास के साक्ष्य पर कोई भरोसा नहीं किया, जिसने स्वयं को घायल प्रत्यक्षदर्शी होने का दावा किया था।

विद्वान ट्रायल जज ने उमाकांत द्वारा ' टांगी ' झटका देने के आरोप पर भी विश्वास नहीं किया रजक ने मनपूरन दास के सिर पर वार किया । हालांकि, यह माना गया कि जलेश्वर मांझी ने गौर दास के बाएं हाथ की हथेली पर धारदार हथियार से गंभीर चोट पहुंचाई थी और रघु मांझी ने मनपूरन दास के बाएं घुटने पर धारदार हथियार से गंभीर चोट पहुंचाई थी और आरोपी काला चंद मांझी ने भी मनपूरन दास के बाएं कंधे की हड्डी पर धारदार हथियार से गंभीर चोट पहुंचाई थी । मांझी ने मृतक के सिर पर ' टांगी ' से जोरदार वार किया, जिससे उसके ललाट की हड्डी टूट गई और मस्तिष्क का हिस्सा फट गया। मांझी ने मृतक की पीठ में टेंटा घोंप दिया ।

उपर्युक्त निष्कर्ष के आधार पर, अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया और निम्नलिखित सजाएँ दी गईं:

आरोपी का नाम	धारा के तहत दोषी ठहराया गया	सजा सुनाई गई
रविश्वर मांझी	302, 148 आईपीसी	आजीवन कारावास और 2 वर्ष की सजा ।
जलेश्वर मांझी	302, 148 और 326 भारतीय दंड संहिता	आजीवन कारावास तथा क्रमशः 2 वर्ष एवं 5 वर्ष का कारावास
काला चांद मांझी	326 और 148 आईपीसी	5 वर्ष आरएल और 2 वर्ष आरएल क्रमश
रघु मांझी	326 और 148 आईपीसी	5 वर्ष आरएल और 2 वर्ष आरएल क्रमश:
संतु मांझी	148 आईपीसी	2 वर्ष आर एल
उमा कांत रजक	148 आईपीसी	2 वर्ष आरएल

13. उच्च न्यायालय ने उक्त निर्णय के आधार पर अपील खारिज कर दी है।

14. श्री अभिजीत सेनगुप्ता , अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने तर्क दिया:

(मैं) अभियोजन पक्ष द्वारा घटना की उत्पत्ति और उद्गम को दबा दिया गया है।

(ii) अभियुक्त के शरीर पर लगी चोटों से इनकार किए जाने के कारण अभियोजन पक्ष के गवाहों को विश्वसनीय नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने महत्वपूर्ण बिंदुओं को दबा दिया।

(iii) जांच अधिकारी द्वारा पूछताछ न किए जाने से अभियुक्त के प्रति गंभीर पूर्वाग्रह उत्पन्न हुआ है।

(चतुर्थ) घटनास्थल का वास्तविक स्थान, अर्थात क्या यह अपीलकर्ता जलेश्वर के घर के सामने था मांझी के घर के सामने या मृतक के घर के सामने किसी ने गोली मारी है, इसकी पुख्ता पुष्टि नहीं हो पाई है।

(v) अभियोजन पक्ष ने पी.डब्लू. 17 द्वारा एकत्रित की गई रक्त-रंजित मिट्टी को रासायनिक परीक्षण के लिए नहीं भेजा, इसलिए बचाव पक्ष का कथन सिद्ध माना जाना चाहिए।

(vi) अभियोजन पक्ष के गवाहों पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उनके बयान प्राप्त करने में अत्यधिक देरी हुई थी।

(सात) स्टेशन डायरी (सन्हा) जिसके आधार पर पी.डब्लू. 17 के घटनास्थल पर पहुंचने की बात कही गई थी, प्रस्तुत नहीं की गई, जिससे अपीलकर्ताओं के प्रति गंभीर पूर्वाग्रह उत्पन्न हुआ, जिसके कारण प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए।

(viii) रिकार्ड में लाई गई सामग्री से फर्द दर्ज करने के समय के संबंध में गंभीर संदेह पैदा होता है। चूंकि जांच स्टेशन डायरी के आधार पर ही शुरू हो गई थी , इसलिए एफआईआर साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं की जा सकती।

(ix) घायलों को निजी अस्पताल से उपचार कराने की कोई आवश्यकता नहीं थी, यद्यपि घटनास्थल के निकट सरकारी अस्पताल था ।

(x) निचली अदालतों ने अपने निर्णयों में गैरकानूनी जमावड़ा बनाने के आरोप के संबंध में साक्ष्य पर विचार और चर्चा नहीं की, और इस प्रकार, अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि अपीलकर्ताओं ने अपराध करने के लिए एक सामान्य उद्देश्य बनाया था।

(xi) अभियोजन पक्ष के साक्षियों के बयान चिकित्सा साक्ष्य उपलब्ध होने के बाद दर्ज किए गए थे, इसलिए निचली अदालतों द्वारा उन पर कोई भरोसा नहीं किया जाएगा।

(xii) आरोपी व्यक्तियों - अपीलकर्ताओं के बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत उचित रूप से दर्ज नहीं किए गए, जिससे गंभीर पूर्वाग्रह उत्पन्न हुआ।

(xiii) निचली अदालतों ने एक तीसरा मामला बनाया जो रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों से समर्थित नहीं था और जो कानून में अस्वीकार्य है।

(xiv) एफआईआर में हथियारों का गलत विवरण देने से गवाहों की गवाही का मूल्य प्रभावित हुआ, जिससे अभियोजन पक्ष का मामला असम्भव हो गया ।

(xv) दोनों मामलों की सुनवाई एक ही अदालत द्वारा तथा एक के बाद एक की जानी चाहिए थी।

(xvi) मामले को किसी भी दृष्टिकोण से देखें तो यह माना जाना चाहिए कि अपीलकर्ताओं ने उन्हें लगी चोटों के मद्देनजर निजी प्रतिरक्षा के अपने अधिकार का प्रयोग किया है।

दूसरी ओर, झारखंड राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री रतन कुमार चौधरी ने तर्क दिया:

(i) चूंकि पी.डब्लू. 17 की जांच अभियोजन पक्ष द्वारा की गई है जिसने एफआईआर दर्ज की है, इसलिए जांच अधिकारी की गैर-परीक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थी।

(ii) पीए/वी.1, पी.डब्लू. 3 और पी. 7 के बयान दर्ज नहीं किए जा सके क्योंकि वे अस्पताल में भर्ती थे।

(iii) घायल व्यक्तियों और मृतकों को ले जाया गया

को चास ले जाया गया क्योंकि यह आवश्यक पाया गया कि उन्हें चास के रेफरल अस्पताल में उपचार दिया जाए और वह बंद पाया गया, इसलिए घायलों को चास स्थित नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया।

(iv) अभियोजन पक्ष ने घटना की उत्पत्ति साबित कर दी है।

(वी) विद्वान सत्र न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के समुचित विश्लेषण के आधार पर अभियुक्त को दोषी पाया है, तथा इस दृष्टि से उक्त निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।

(vi) अपीलकर्ताओं ने मौके पर एक ही उद्देश्य बनाया था और मृतक तथा घायल व्यक्तियों को लगी चोटों की प्रकृति को देखते हुए अभियोजन पक्ष द्वारा गैरकानूनी जमावड़े का गठन सिद्ध किया जाना चाहिए।

16. विद्वान सत्र न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालय ने भी ऐसा कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया कि सभी अभियुक्तों का उद्देश्य एक ही था।

आरोपियों की ओर से कोई पूर्व-योजना नहीं थी। दो आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 148 के तहत तथा अन्य आरोपियों को धारा 326 और 148 के तहत दोषी पाया गया है।

श्री सेनगुप्ता का यह कहना सही हो सकता है कि अभियोजन पक्ष ने घटना की उत्पत्ति के बारे में नहीं बताया है। हम यह भी नहीं जानते कि दोनों मामलों को एक के बाद एक एक ही अदालत में क्यों नहीं लिया गया। इसके अलावा हम यह भी नहीं समझ पा रहे हैं कि 1999 का एक आपराधिक मामला अभी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट, बोकारो की अदालत में कैसे लंबित है ।

17. विद्वान सत्र न्यायाधीश और उच्च न्यायालय ने इस आधार पर कार्यवाही की कि चूंकि अपीलकर्ता अपना बचाव साबित नहीं कर पाए हैं, इसलिए अभियोजन पक्ष के बयान को स्वीकार किया जाना चाहिए। इस प्रकार, निचली अदालतों का दृष्टिकोण सही नहीं था।

जांच लापरवाही पूर्वक की गई।

एफआईआर से साफ पता चलता है कि एफआईआर दर्ज होने से पहले ही जांच शुरू हो गई थी। जांच की गई, खून से सनी घास और मिट्टी जब्त की गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।

18. यह किसी की समझ से परे है कि अगर घटना करीब 2:00 बजे हुई थी और पी.डब्लू. 17 को सिमुलतांड गांव पहुंचने में करीब डेढ़ घंटे का समय लगा था, तो एफआईआर करीब 3:45 बजे कैसे दर्ज की गई, जबकि जांच रिपोर्ट करीब 4:05 बजे तैयार की गई और खून से सने घास और मिट्टी को करीब 5:00 बजे जब्त किया गया। घायलों को गंभीर चोटें आई थीं। उम्मीद थी कि उन्हें जल्द से जल्द कुछ चिकित्सा सहायता दी जाएगी। वे बेहोश थे और इसलिए उन्हें इलाज के लिए पास के अस्पताल में भेजा जाना चाहिए था। यह बिल्कुल जरूरी था कि उन्हें कम से कम कुछ चिकित्सा सहायता दी जाए।

वे लगभग 7 बजे शाम को डॉ. केजरीवाल के नर्सिंग होम पहुंचे। पी.डब्लू.11 ने निम्नलिखित चोटें देखीं, जो उसके अपने शब्दों में हैं:

गौरदास पर मुझे निम्नलिखित चोटें मिलीं:

1. बायीं हथेली पर 9 सेमी x 1 सेमी का कटा हुआ घाव या सतही (अस्पष्ट)
2. बाएं कंधे के जोड़ पर घर्षण। 6 घंटे के भीतर पुराना हो जाना। नंबर 1 तेज औजार से, दूसरा कठोर पदार्थ से। नंबर 1 गंभीर प्रकृति का और 2 साधारण। पूरन चंद दास को निम्नलिखित चोटें मिलीं :

मैं

1. खोपड़ी पर 5 सेमी x 0.6 सेमी x .5 सेमी का घाव, मांसपेशियों पर फटा हुआ।
2. बाएं कंधे की हड्डी पर (अस्पष्ट) कट गया घाव .10 सेमी x 1.2 सेमी.
3. बाएं घुटने के जोड़ पर 8 सेमी x 10 सेमी का कटा हुआ घाव (पढ़ने में मुश्किल) 6 घंटे के अंदर हुआ। पहला घाव किसी कठोर कुंद वस्तु से और दूसरा किसी धारदार औजार से हुआ। सभी चोटें गंभीर हैं, दो चोटें पेन और हस्ताक्षर से लिखी गई हैं।

सभी प्रासंगिक प्रश्नों के उत्तर में, उनका मानक

जवाब मिला, "मुझे याद नहीं है"।

19. अगर अभियोजन पक्ष का यह मामला सही है कि शव और घायलों को रेफरल अस्पताल लाया गया था, जो बंद पाया गया, घायलों को नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, तो कोई कारण नहीं था कि पुलिस उनके साथ क्यों नहीं गई। यह भी अजीब है कि न तो पूरन दास के सिर पर चोट का सही स्थान बताया गया और न ही डॉक्टर ने उक्त चोट का विवरण दिया। वह यह भी बताने की स्थिति में नहीं था कि चोट नंबर 3 सामने से लगी थी या पीछे से। उसके अनुसार सभी चोटें एक जैसे हथियारों से लग सकती हैं। उसने अपनी चोट रिपोर्ट में चोट के रंग का भी उल्लेख नहीं किया।

20. जबकि अभियोजन पक्ष के सभी अन्य गवाह उसी दिन अस्पताल में भर्ती थे, पीडब्लू 7 को अगले दिन भर्ती कराया गया था, हालांकि उसे गंभीर चोट लगी थी। यह ज्ञात नहीं है कि उसे कोई चिकित्सा सहायता दी गई थी या नहीं। किसी भी गवाह का बयान न तो उस दिन दर्ज किया गया जिस दिन घटना हुई थी और न ही उसके अगले दिन।

21. पीडब्लू 1 की जांच मृतक के श्राद्ध समारोह के बाद की गई थी, जो कि मृत्यु के लगभग बारह दिन बाद हुआ होगा। पीडब्लू 3 ने बताया कि उसकी जांच एक महीने बाद की गई थी। पीडब्लू 7 का बयान भी अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद लिया गया था , यानी कम से कम एक सप्ताह बाद।

इस तरह के मामले में जांच अधिकारी से पूछताछ की जानी चाहिए थी। अभियोजन पक्ष द्वारा उसकी जांच यह दिखाने के लिए आवश्यक थी कि निष्पक्ष जांच हुई है। दुर्भाग्य से, यहां तक कि कोई साइट प्लान भी तैयार नहीं किया गया था। रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे पता चले कि घटना किस जगह पर हुई थी। यह कहा गया है कि पक्षों के घर एक सड़क से विभाजित हैं। यदि ऐसा है, तो यह पता लगाने के लिए कि हमलावर कौन था, घटना के सटीक स्थान को इंगित करना और भी अधिक आवश्यक था ।

22. इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक व्यक्ति की जान चली गई और दो लोगों को गंभीर चोटें आईं, लेकिन हमें दो अपीलकर्ताओं को लगी चोटों पर भी ध्यान देना चाहिए, जैसा कि डॉ. वीरेंद्र ने बताया था।

कुमार (डी.डब्लू. 2) ने अपने साक्ष्य में कहा।

"31.10.1997 को मैं चंदनकियारी में एमओ के पद पर तैनात था। उस दिन रात 9.30 बजे मैंने रविश्वर की जांच की मांझी पुत्र बर्गा मांझी , थाना चंदनकियारी , जिला बोकारो में निम्नलिखित चोटें पाई गईं:

(1) बाएं हथेली पर अंगूठे के नीचे (अस्पष्ट) तीखे काटने वाले पदार्थ द्वारा 1 1/2" x 1/6" x 1/6" का घाव।

(2) 6" और 5" के तेज काटने वाले उपकरण के कारण पीछे और ऊपरी हिस्से के दोनों तरफ चार स्थानों पर खरोंचें

(3) पीछे दो स्थानों पर 4" x 1/2" x 1" गहरा तथा 2" x 1/4" x 1/4" गहरा तेज काटने वाले उपकरण से घाव।

(4) (4) 12 घंटे के अंदर आयु, 1 व 2 साधारण तथा 3 गंभीर।

उसी दिन मैंने जलेश्वर का निरीक्षण किया मांझी , पत्नी बर्गा उसी गांव के मांझी नामक व्यक्ति की हत्या की गई और उन्हें निम्नलिखित चोटें मिलीं।

(1) सिर के पीछे और भीतरी भाग पर दो स्थानों पर 3" x 1/2" x त्वचा की गहराई तक तेज काटने वाले पदार्थ से काटा गया घाव।

(2) 2" x 1/4" x सामने के सिर पर त्वचा की गहराई तक।

(3) दर्द की शिकायत ओह पूरे शरीर में बिना पढ़े। चोट के साथ 12 घंटे सरल।

मरीज रविश्वर मांझी को एक्स-रे के लिए भेजा गया और रिपोर्ट आने पर हथेली पर गंभीर चोटें पाई गईं।

23. चोटें गंभीर प्रकृति की होने के कारण अभियोजन पक्ष का यह कर्तव्य था कि वह उसका स्पष्टीकरण दे।

अयोध्या राम उर्फ अयोध्या प्रसाद सिंह एवं अन्य में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए अपीलकर्ताओं को हुई चोटों की प्रकृति को गंभीरता से नहीं लिया । बनाम बिहार राज्य [(1999) 9 एससीसी 139], जिसमें आरोपी व्यक्तियों को केवल मामूली चोटें आई थीं।

24. सात प्रत्यक्षदर्शियों में से, पी.डब्लू. 7 पर निचली अदालतों ने विश्वास नहीं किया। पी.डब्लू. 4 और 5 घटना के स्थान पर बिल्कुल मौजूद नहीं थे। कहा जाता है कि उन्होंने घटना का केवल एक हिस्सा ही देखा था। अन्य सभी प्रत्यक्षदर्शी मृतक के रिश्तेदार थे। हालाँकि, हम यह जोड़ने में संकोच नहीं करते कि केवल इसी आधार पर उनके साक्ष्यों पर अविश्वास नहीं किया जाना चाहिए।

इसके अलावा, पक्षों के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी। उनके खिलाफ केवल दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के तहत एक मामला लंबित था। यहां तक कि इस मामले में भी, यह दिखाने के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया कि उक्त कार्यवाही कब और किसके कहने पर शुरू की गई थी। अभियोजन पक्ष के गवाहों ने केवल अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया कि एक मौत हुई थी और दो गवाहों को गंभीर चोटें आईं, लेकिन इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में यह दिखाना बिल्कुल जरूरी था कि आरोपी हमलावर थे। यही कारण है कि अभियोजन पक्ष के मामले की उत्पत्ति को गंभीर महत्व दिया जाना चाहिए।

25. यह तथ्य कि अपीलकर्ता अपने घर वापस हथियार लेकर गए थे और मृतक तथा घायल व्यक्तियों को चोटें पहुंचाईं, सही हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन अभियोजन पक्ष के मामले को सही मानते हुए भी, स्पष्ट रूप से अभियोजन पक्ष उनके घर भी गया था और उनके घर से हथियार भी लाया था। यदि यह स्वीकार किया जाता है कि अपीलकर्ता ऐसे घातक हथियारों से लैस थे, तो यह भी स्वीकार किया जाना चाहिए कि अभियोजन पक्ष के गवाह भी ऐसे हथियारों से लैस होंगे। इसी कारण से ' सनहा ' प्रविष्टि प्रस्तुत करना आवश्यक था। हम इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं हैं कि अभियुक्त की पहचान या पीड़ितों द्वारा पहुंचाई गई चोटों की प्रकृति और साथ ही दोषियों के नाम के बारे में किसी भी विवरण के बिना पुलिस अधिकारी द्वारा फोन पर प्राप्त मात्र सूचना को एफआईआर नहीं माना जा सकता है, लेकिन यदि उसे प्रस्तुत किया जाता, तो पुलिस अधिकारी द्वारा प्राप्त सूचना की प्रकृति स्पष्ट हो जाती। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में निम्नलिखित दर्ज किया:

"अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण कि वे मृतक के शरीर पर लगी चोटों को, यदि कोई हो, नोटिस नहीं कर सके।"

उपरोक्त अपीलकर्ताओं को इस तथ्य के आधार पर दोषी ठहराया जाना कि वे स्वयं घायल हुए थे और उनमें से एक को घातक चोटें आईं थीं, जिसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी और हमला मुश्किल से पाँच मिनट से भी कम समय तक जारी रहा, जिसके बाद हमलावर भाग गए थे, जहाँ तक घायल गवाहों का सवाल है, यह एक उचित स्पष्टीकरण प्रतीत होता है। हालाँकि, यह अन्य प्रत्यक्षदर्शियों पर लागू नहीं होता है, क्योंकि उन्हें शुरू से लेकर अंत तक पूरी घटना को देखने का अवसर मिला था। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों से, ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे के साथ खुलकर लड़ाई की थी। इस दौरान एक दूसरे के खिलाफ मारपीट की गई, जिसमें दोनों पक्षों के सदस्यों को चोटें आईं। अपीलकर्ता रविश्वर द्वारा दर्ज किए गए जवाबी मामले की एफआईआर में मांझी के अनुसार, अभियोजन पक्ष के सदस्यों के शरीर पर पाई गई चोटों को स्पष्ट करने का एक कमजोर प्रयास किया गया है। यह तर्क दिया गया है कि मृतक द्वारा किए गए प्रयासों का विरोध करते हुए अपीलकर्ताओं द्वारा निजी बचाव के अधिकार का प्रयोग किया गया था, जिससे मृतक और उसके परिवार के अन्य सदस्यों को कुछ चोटें आई होंगी।"

26. अगर कोई खुली लड़ाई हुई होती और दोनों पक्ष घातक हथियारों से लैस होते और उन्हें चोटें आतीं, तो सभी अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। पूरे मामले को निचली अदालतों को उसी नजरिए से देखना चाहिए था। मामले पर बचाव पक्ष के मामले के आलोक में विचार किया जाना जरूरी था। उच्च न्यायालय ने कहा कि मृतक को अपीलकर्ता ने उनके घर में नहीं, बल्कि उनके घर के बाहर सड़क पर परेशान किया था, यह कोई बड़ी बात नहीं है, खासकर तब जब उच्च न्यायालय ने खुद दर्ज किया है कि मृतक नागेंद्र का घर नाथ दास और अपीलकर्ता रविश्वर मांझी के घर एक दूसरे के आमने-सामने थे और एक सड़क (गली) उन्हें विभाजित करती थी। अगर शव गली में पड़ा था, तो यह मायने नहीं रखता कि वह अपीलकर्ता या मृतक के घर के सामने था।

27. निजी बचाव के अधिकार के प्रयोग के संबंध में अपीलकर्ताओं की दलील को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है।

केवल इस आधार पर कि मृतक के घर से चले जाने के तुरंत बाद निजी प्रतिरक्षा का अधिकार समाप्त हो गया था। लेकिन जिस बात पर विचार नहीं किया गया है वह है कारण घटना का कारण .

क्या आरोपी के परिवार की महिला सदस्य की शील भंग करने के कारण ही घटना हुई, यह एक ऐसा सवाल है जिस पर विचार किया जाना चाहिए था। यदि ऐसा है, तो अभियोजन पक्ष को यह साबित करना था कि अपीलकर्ताओं की ओर से चोट पहुंचाने का प्रयास पिछली दुश्मनी के परिणामस्वरूप नहीं बल्कि किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया गया था।

यदि एफआईआर में लगाए गए आरोप कि अपीलकर्ता नशे में थे, सही थे, तो पीडब्लू 17 और परिणामस्वरूप जांच अधिकारी के लिए उक्त तथ्य को स्थापित करना अनिवार्य था। मेडिकल साक्ष्य ऐसा नहीं दर्शाते हैं। मामले के इस पहलू को आरोपी का इलाज करने वाले डॉक्टर के ध्यान में नहीं लाया गया था। इस प्रकार, दो संस्करण थे। दोनों संभावित थे और यदि ऐसा है, तो अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए निजी बचाव के अधिकार के प्रयोग की दलील गंभीरता से विचार करने योग्य थी।

28. अभिलेखों में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं था जिससे यह पता चले कि अपीलकर्ता हमलावर थे। यदि सब कुछ थोड़े समय के भीतर हुआ था जैसा कि अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया है, अर्थात अपीलकर्ता उपद्रव कर रहे थे जिस पर मृतक ने आपत्ति जताई थी; वे अपने-अपने घर गए; हथियार लेकर आए और मृतक तथा अन्य घायल व्यक्तियों पर हमला करना शुरू कर दिया, तो अभियोजन पक्ष के लिए यह साबित करना भी आवश्यक था कि अभियुक्त व्यक्तियों को चोटें कैसे आईं। अब यह कानून का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियुक्त यह दिखा सकते हैं कि वे अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेखों में प्रस्तुत सामग्री से निजी बचाव के अधिकार का प्रयोग करने के हकदार थे।

29. जिन जगहों पर चोटें लगी थीं, वे भी महत्वपूर्ण हैं। अगर अभियोजन पक्ष के गवाहों की बात पर यकीन किया जाए, तो पहली चोट हाथ पर लगी थी। इसके बाद अभियोजन पक्ष के गवाहों के शरीर के दूसरे हिस्सों पर चोटें आईं और आखिरी चोट ' टेंटा ' से लगी थी।

चानन सिंह बनाम पंजाब राज्य [(1979) 4 एससीसी 399,

इस न्यायालय ने माना:

"यह सच है कि बचाव पक्ष का मामला भी उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन जब अभियुक्त द्वारा आत्मरक्षा में कार्य करने की संभावना हो , तो यह उसे दोषमुक्त करने के लिए पर्याप्त है।"

बिश्ना उर्फ भिस्वदेब महतो एवं अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य [(2005) 12 एससीसी 657] में, इस न्यायालय ने पाया कि निजी बचाव के अधिकार को विशेष रूप से लेने की आवश्यकता नहीं है और यदि न्यायालय रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री के आधार पर इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचने की स्थिति में है, तो न्यायालय उसके अनुसार कार्य कर सकता है। यह माना गया:

"74. 'निजी प्रतिरक्षा का अधिकार' परिभाषित नहीं है। भारतीय दंड संहिता की धारा 96 के अनुसार कोई भी कार्य अपराध नहीं है, यदि वह निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में किया गया हो। धारा 97 निजी प्रतिरक्षा के विषय-वस्तु से संबंधित है। निजी प्रतिरक्षा के अधिकार की दलील में शरीर या संपत्ति शामिल है। हालांकि, यह न केवल अधिकार का प्रयोग करने वाले व्यक्ति तक ही सीमित है; बल्कि किसी अन्य व्यक्ति तक भी। शरीर के विरुद्ध किसी भी अपराध के मामले में और संपत्ति के संबंध में चोरी, डकैती, शरारत या आपराधिक अतिचार और ऐसे अपराधों के प्रयास के मामले में अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। धारा 96 और 98 कुछ अपराधों और कृत्यों के विरुद्ध निजी प्रतिरक्षा का अधिकार प्रदान करती हैं। धारा 99 इसके लिए सीमा निर्धारित करती है। धारा 96 से 98 और 100 से 106 के अनुसार किसी व्यक्ति को प्रदान किया गया अधिकार धारा 99 द्वारा नियंत्रित होता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 99 के अनुसार, निजी प्रतिरक्षा का अधिकार, किसी भी मामले में, अधिक चोट पहुँचाने तक विस्तारित नहीं होता है। बचाव के उद्देश्य के लिए जितना नुकसान पहुंचाना आवश्यक है, उससे अधिक नुकसान पहुंचाना। धारा 100 में प्रावधान है कि शरीर की प्राइवेट रक्षा का अधिकार पिछली धारा में उल्लिखित प्रतिबंधों के तहत हमलावर को स्वैच्छिक रूप से मृत्यु या कोई अन्य नुकसान पहुंचाने तक विस्तारित होता है, यदि वह अपराध जो अधिकार के प्रयोग का कारण बनता है, उसमें वर्णित किसी भी प्रकार का हो, अर्थात्, "पहला - ऐसा हमला, जिससे उचित रूप से यह आशंका हो सकती है कि ऐसे हमले के परिणामस्वरूप मृत्यु हो जाएगी; दूसरा - ऐसा हमला

जिससे उचित रूप से यह आशंका उत्पन्न हो कि इस तरह के हमले के परिणामस्वरूप गंभीर चोट पहुंचेगी"। स्वैच्छिक मृत्यु का कारण बनने वाले निजी बचाव के अधिकार का दावा करने के लिए, अभियुक्त को यह दिखाना होगा कि ऐसी परिस्थितियाँ थीं जो यह आशंका करने के लिए उचित आधार पैदा करती थीं कि या तो उसे मृत्यु या गंभीर चोट पहुंचाई जाएगी। इस संबंध में भार अभियुक्त पर है।"

30. एक बार फिर सुरेन्द्र एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य [(2006) 11 एससीसी 434] में इस न्यायालय ने माना:

"26. हम इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं हैं कि सभी परिस्थितियों में अभियुक्त के शरीर पर लगी चोटों को स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसे मामले में एक अलग मानक लागू किया जाएगा जहां निजी बचाव के अधिकार की एक विशिष्ट दलील उठाई गई है। यह सच हो सकता है कि यदि अभियोजन पक्ष अपने प्राथमिक सबूत का भार पूरा कर लेता है, तो भार अभियुक्त पर आ जाएगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होगा कि भार केवल बचाव पक्ष के गवाहों की जांच करके ही पूरा किया जा सकता है।

27. निचली अदालतों ने यह राय देकर स्पष्ट कानूनी त्रुटि की है कि अपीलकर्ताओं ने उन पर लगाए गए प्रारंभिक दायित्व का निर्वहन नहीं किया है। यहां तक कि इस तरह की दलील को भी विशेष रूप से उठाए जाने की आवश्यकता नहीं है। अदालतें केवल यह देख सकती हैं कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में निजी बचाव का प्रयोग करने की दलील संभावित थी या नहीं।

32. अभियुक्त की ओर से हुई चोटों को स्पष्ट करने के अभियोजन पक्ष के कर्तव्य के संबंध में, इस न्यायालय ने टिप्पणी की:

78. साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 के अनुसार, आत्मरक्षा की दलील पेश करने वाले अभियुक्त पर सबूत पेश करने का भार होता है और सबूत के अभाव में न्यायालय के लिए उक्त दलील के सही होने या न होने का अनुमान लगाना संभव नहीं हो सकता। हालाँकि अभियुक्त द्वारा कोई सकारात्मक साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है; उसके लिए अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित गवाहों से आवश्यक सामग्री प्राप्त करके उक्त तथ्य को साबित करना संभव है । वह अपनी दलील को अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित गवाहों से भी साबित कर सकता है।

वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार, जैसा कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से पता चल सकता है।

79. हालांकि, इस न्यायालय ने बहुत से मामलों में यह कानून बनाया है कि जो व्यक्ति मृत्यु या शारीरिक चोट की आशंका कर रहा है, वह क्षण भर में और परिस्थितियों की गर्मी में, हथियारों से लैस हमलावरों को निहत्था करने के लिए आवश्यक चोटों की संख्या को सोने के तराजू में नहीं तौल सकता। उत्तेजना और अशांत संतुलन के क्षणों में अक्सर यह उम्मीद करना मुश्किल होता है कि पक्षकार संयम बनाए रखेंगे और जवाबी कार्रवाई में केवल उतना ही बल प्रयोग करेंगे, जितना उस पर आशंका वाले खतरे के अनुरूप हो, जहां बल प्रयोग से हमला आसन्न हो। सभी परिस्थितियों को व्यावहारिकता के साथ देखा जाना चाहिए और किसी भी अति-तकनीकी दृष्टिकोण से बचना चाहिए।

80. सरल शब्दों में कहें तो, यदि बचाव पक्ष साबित हो जाता है, तो आरोपी को बरी किया जा सकता है और यदि नहीं, तो उसे हत्या का दोषी ठहराया जाएगा। लेकिन अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में, उसे धारा 304 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया जाएगा।"

31. में सत्य नारायण यादव बनाम गजानंद एवं अन्य [2008 (10) स्केल 728], इस न्यायालय ने माना:

"14. जैसा कि बुट्टा सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में उल्लेख किया गया है (एआईआर 1991 एससी 1316), एक व्यक्ति जो मृत्यु या शारीरिक चोट की आशंका कर रहा है, वह क्षण भर में और परिस्थितियों की गर्मी में, हथियारों से लैस हमलावरों को निष्क्रिय करने के लिए आवश्यक चोटों की संख्या को सोने के तराजू पर नहीं तौल सकता है। उत्तेजना और अशांत मानसिक संतुलन के क्षणों में अक्सर पार्टियों से यह उम्मीद करना मुश्किल होता है कि वे संयम बनाए रखें और जवाबी कार्रवाई में केवल उतना ही बल प्रयोग करें जो उस पर आशंका वाले खतरे के अनुरूप हो, जहां बल के प्रयोग से हमला आसन्न है, आत्मरक्षा में बल को पीछे हटाना वैध होगा और निजी बचाव का अधिकार तब शुरू होता है, जब खतरा इतना आसन्न हो जाता है। ऐसी स्थितियों को व्यावहारिक रूप से देखा जाना चाहिए न कि उच्च-शक्ति वाले दृष्टिकोण से।

चश्मे या माइक्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है। मौके पर अचानक क्या हुआ, इस पर विचार करते समय उचित महत्व दिया जाना चाहिए और अति तकनीकी दृष्टिकोण से बचना चाहिए तथा सामान्य मानवीय प्रतिक्रिया और आचरण को ध्यान में रखना चाहिए, जहां आत्मरक्षा सर्वोपरि विचार है। लेकिन, यदि तथ्य की स्थिति से पता चलता है कि आत्मरक्षा की आड़ में, वास्तव में जो किया गया है वह मूल हमलावर पर हमला करना है, यहां तक कि उचित आशंका के कारण के गायब हो जाने के बाद भी, निजी-रक्षा के अधिकार की दलील को वैध रूप से नकारा जा सकता है । दलील से निपटने वाले न्यायालय को यह निष्कर्ष निकालने के लिए सामग्री का वजन करना होगा कि क्या दलील स्वीकार्य है। यह अनिवार्य रूप से, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, तथ्य की खोज है।"

32. हम देख सकते हैं कि विद्वान सत्र न्यायाधीश ने जलेश्वर की जांच करते समय मांझी ने उससे यह सवाल नहीं किया कि क्या उसने मृतक की हत्या की है या किसी पर हमला किया है।

33. उपर्युक्त कारणों से, हमारी राय है कि न्यायालय के लिए यह निष्कर्ष निकालना संभव है कि अपीलकर्ता निजी प्रतिरक्षा के अपने अधिकार का प्रयोग करने के हकदार थे। अपील स्वीकार की जाती है। रविश्वर मांझी (आरोपी नंबर 5), जलेश्वर मांझी (आरोपी संख्या 6) और काला चंद्र मांझी (आरोपी संख्या 3) जो हिरासत में हैं, उन्हें तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया जाता है, जब तक कि वे किसी अन्य मामले के संबंध में वांछित न हों।

संतू की जमानत बांड मांझी (आरोपी नंबर 4) और उमाकांत रजक (आरोपी सं. 1) को दोषमुक्त किया जाएगा।

के.के.टी. अपील स्वीकृत हुई।

<u>यह अनुवाद लीना मुखर्जी, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है।</u>